(163) (1)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED
20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प जबलपुर म.प्र.

राजस्व पुनरीक्षण प्र.क. ---------/2018

पुनरीक्षणकर्ता:— माया राम पिता मेहतर निवासी ग्राम सुकडी तहसील परसवाडा जिला—बालाघाट म.प्र.

(519)

विरूद्व

अनावेदकगण:— 1—अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैहर जिला—बालाघाट

2— तहसीलदार परसवाडा जिला—बालाधाट

3— अपर कलेक्टर बैहर, जिला—बालाघाट

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता अपर कलेक्टर बैहर जिला बालाघाट के राजस्व प्रकरण कमांक 2/अ—19/वर्ष 2014—15 आदेश दिनांक 28/7/2017 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:—

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करता है कि :—

पुनरीक्षण के तथ्य

1— यह कि, पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 16/8/2001 को न्यायालय नायब तहसीलदार परसवाडा द्वारा प्रकरण कमांक--51—अ—19/2000—2001 के तहत ग्राम पंचायत सुकडी में कृषि प्रयोजन हेतु खसरा नं 42/1 में रकवा 3.39 हे. भूमि भूमिस्वामी अधिकारों के तहत पटटे में आवंटित की गयी थी । उक्त भूमि पर वह विगत 25 वर्षो से काबिज होकर खेती कर अपने परिवार की जीविका चला रहा है । पटटे की प्रति संलग्न है **प्रदर्श पी—1**

2— यह कि, अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व एक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं प्रतिवेदित किया गया कि उक्त पटटे जो कि

NOTARY JABALPUR (M.P.)

- 4 FEB 2018

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/बालाघाट/भू.रा./2018/1901

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शशांक त्रिवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u>**	